उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-20/3322/26-1-2013-4(12)/2013

लखनऊ : दिनांक: 01 नवम्बर, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

श्री विमल कुमार ढाका, जिला समाज कल्याण अधिकारी/प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी, सम्भल द्वारा दिनांक 25-10-2013 को वृद्धावस्था पेंशन तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा महिला व विकलांग व्यक्तियों के नवचयनित लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि का वितरण किया जाना था। जिलाधिकारी सम्भल द्वारा वृद्धावस्था पेंशन/निराश्रित विधवा पेंशन से संबंधित कुल 3090 लाभार्थियों के रोखांकित चेक तैयार कराये गये थे तथा समस्त लाभार्थियों के चेक श्री ढाका की अभिरक्षा में थे, किन्तु उनके द्वारा मात्र 50 लाभार्थियों के चेक ही वितरण अधिकारी को उपलब्ध कराये गये। शेष लाभार्थियोंश्री ढाका द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखे रहने के कारण चेक वितरण में व्यवधान उत्पन्न हुआ और लाभार्थियों को चेक प्राप्त न होने की स्थिति में रोष उत्पन्न हुआ और समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधियों के समक्ष समाज कल्याण विभाग की क्षवि धूमिल हुयी, इससे परिलक्षित होता है कि शेष लाभार्थियों के चेक श्री ढाका द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य तथा दूषित नीयत से जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराये गये।

इस प्रकार विभाग द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं में शासकीय कार्यो के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने, पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने एवं दूषित कार्यप्रणाली के आरोप में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाते हुए श्री विमल कुमार ढाका, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सम्भल को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-4(1) के अंतर्गत एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाती है तथा उक्त नियमावली के नियम-7 के अंतर्गत प्रकरण की जॉच हेतु अपर आयुक्त (प्रशासन) मेरठ मण्डल, मेरठ को पदनाम से जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2- निलम्बन की अवधि में श्री ढाका को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था, निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री ढाका इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापारवृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

4- श्री ढाका को निलम्बन अवधि में निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध किया जाता है।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

सुनील कुमार

प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-20/3322(1)/26-1-2013-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को निलम्बन आदेश की एक अतिरिक्त प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया श्री विमल कुमार ढाका, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सम्भल को निलम्बन आदेश की प्रति तामील कराकर स्पष्ट हस्ताक्षर व दिनांक सहित तामीली की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जॉच अधिकारी/अपर आयुक्त (प्रशासन), मेरठ मण्डल, मेरठ।

3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्भल।

4- संबंधित अधिकारी।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)

अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shsanadesh.up.nic.in